

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100621

दिनांक: 08/04/2026

लोक सूचना

श्री KRISHAN KUMAR पुत्र श्री BAHADUR RAM जाति MEGHWAL निवासी WARD NO. 5, MAINAWALI, 10 NDR, HANUMANGARH-335524

श्री YOGESH पुत्र श्री MANGI LAL जाति JATAV निवासी BRIJ NAGAR COLONY, BHARATPUR-321001

श्री AJAY KUMAR BAIRWA पुत्र श्री BHANWAR LAL BAIRWA जाति BAIRWA निवासी 36, PANI KI TANKI KE PAS, MUHANA, JAIPUR-302029

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कापडियावासकलाँ, मौजमाबाद (जयपुर)	2.) कृष्ण कुमार पुत्र बहादुर राम हिस्सा 2 / 15 जाति मेघवाल मकान संख्या 00 कॉलोनी नील क्षेत्र / स्थान वार्ड नम्बर 5 मैनावाली 10 NDR शहर हनुमानगढ़ पिन कोड 335524 जिला HANUMANGARH राज्य RAJASTHAN खातेदार 3.) योगेश पुत्र मांगी लाल हिस्सा 11 / 30 जाति जाटव मकान संख्या 00 कॉलोनी निल क्षेत्र / स्थान बृज नगर कॉलोनी शहर भरतपुर पिन कोड 321001 जिला BHARATPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार 1.) अजय कुमार बैरवा पुत्र भंवर	13/9	3.793500	3.7935

		लाल बैरवा हिस्सा 1 / 2 जाति बेरवा मकान संख्या 36 कॉलोनी नील क्षेत्र / स्थान पानी की टंकी के पास मुहाना जयपुर शहर जयपुर पिन कोड 302029 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार			
2.	कापडियावासकलाँ, मौजमाबाद (जयपुर)	1.) अजय कुमार बैरवा पुत्र भंवर लाल बैरवा हिस्सा पूर्ण जाति बेरवा मकान संख्या 36 कॉलोनी नील क्षेत्र / स्थान पानी की टंकी के पास मुहाना जयपुर शहर जयपुर पिन कोड 302029 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	13/8	3.793500	3.7935
कुल					7.587

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **08-04-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & JAGRUK TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-19
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

